इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 531] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 20 दिसम्बर 2016—अग्रहायण 29, शक 1938

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2016

क्र. एफ-ए 1-09-2016-एक-(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश शासन कार्य नियमों में, निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, भाग-पांच कार्य नियमों के नियम 13 के अधीन अनुपूरक अनुदेश के अधीन, शीर्षक ''घ-परिषद् के लिए प्रक्रिया'' के अधीन, नियम 25-क के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''25-क. मंत्रि-परिषद् की आर्थिक मामलों, ''राजनैतिक मामलों, कृषि और सहबद्ध मामलों (कृषि केबिनेट), निवेश संवर्धन के लिए एवं पर्यटन मामलों के लिए (पर्यटन केबिनेट) एवं रोजगार मामलों के लिए गठित समिति (रोजगार केबिनेट) के संबंध में प्रक्रिया वही होगी, जो कि परिषद् के समक्ष लाए जाने वाले मामलों के संबंध में अनुपूरक अनुदेश क्रमांक 13 से 25 में विहित है. इन समितियों के विनिश्चय, समस्त प्रयोजनों के लिए, मंत्रि-परिषद् के विनिश्चय समझे जाएंगे.''

स्पष्टीकरण—इन अनुदेशों के प्रयोजनों के लिए ''आर्थिक मामलों की समिति'', राजनैतिक मामलों की समिति'', ''कृषि और सहबद्ध मामलों की समिति (कृषि केबिनेट)'', ''निवेश संवर्धन की समिति'', ''पर्यटन मामलों की समिति (पर्यटन केबिनेट)'' तथा ''रोजगार मामलों के लिए गठित समिति (रोजगार केबिनेट)'' से अभिप्रेत है, इन नामों से गठित की गई मंत्रि-परिषद् की समितियां.''

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2016

क्र. एफ-1-09-2016-एक-(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-1-09-2016-एक-(1), दिनांक 20 दिसम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अपर सचिव.

Bhopal, the 20th December 2016

No. F-1-09-2016-One (1).—In exercise of the powers conferred by clause (2) and (3) of the Article 166 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to make the following further amendment in the Madhya Pradesh Government Rules of Business namely:—

AMENDMENT

In the said rules, under PART-V, the Supplementary Instruction issued under rule 13 of the Business Rules, under the heading "D-PROCEDURE OF THE COUNCIL". of rule 25-A, the following rule shall be substituted, namely :—

"25-A. Procedure in respect of Committees of the Council of Minister, constituted for namely Economic Affairs, Political Affairs, Agriculture and Allied Affairs (Agriculture Cabinet), Committee for Investment Promotion and Tourism Matters (Tourism Cabinet), and Committee for Employment Affairs (Employment Cabinet) shall be the same as prescribed in supplementary instruction namber 13 to 25 in respect of matters to be brought before the council. The decisions of these Committees shall be deemed to be the decision of the council, for all purposes.

Explanation :—For the purpose of these instructions, "Committee for Economic Affairs", "Committee for Political Affairs", "Committee for Agriculture and Allied Affairs (Agriculture Cabinet)", "Committee for Investment Promotion", "Committee for Tourism Matters (Tourism Cabinet)" and Committee for Employment Affairs (Employment Cabinet) shall mean committees of the council constituted by these names.".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
K. K. KATIYA, Addl. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.